16-05-2020

Dr. Purnima Singh
Department of Political Science
B.A part. I paper. I
Basic principles of political theory
Topic - power, Authority, Legitimacy - 3
Lecture - 37

वैधता का स्वरूप - 3
(Nature of Legitimacy)

वैधता वास्तव मे शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है। मानव संबंधों के क्षेत्र मे यदि शक्ति को वैधता का सहारा मिल जाए तो उसमे स्थायित्व आ जाता है। यदि उसकी वैधता नष्ट हो जाए तो वह निराधार हो जाती है और ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं रह पाती। कोई कोई भी शासक शक्ति के सहारे धरती पर शासन कर सकता है, परंतु वैधता के सहारे वह लोगों के हृदय पर शासन करता है। दूसरे शब्दों मे वैधता ऐसा तत्व है जो पाशविक शक्ति (Brutal Power) को मान्य सत्ता (Recognized Authority) के रूप में ढाल देता है। जो शासक लोगों के दिल को नहीं जीत सकता, उसके आदेश जल्दी ही अपना प्रभाव खो देते है। यही कारण है कि अधिकांश नृशंस शासक (Tyrants) भी अपने शासन को लोगो की दृष्टि मे उचित ठहराने का प्रयत्न करते है, चाहे उनके लिए इसके लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं से लाभ उठाना पड़े या झूठे प्रचार का सहारा लेना पड़े।

प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना के अंतर्गत दार्शनिक- शासकों (Philosopher-kings)

को संपूर्ण सत्ता सौंपने का विचार ~~प्रस्तु~~ प्रस्तुत किया था। परंतु समाज के अन्य वर्ग उनकी सर्वोच्च सत्ता को चुनौती देने को तत्पर न हों - यह निश्चित करने के लिए प्लेटो ने 'उदात्त झूठ' के प्रचार (Propagation of the Noble Lie) का सुझाव दिया था। इसके अंतर्गत लोगों को यह विश्वास दिलाया जाना था कि उन्हें एक ही ईश्वर ने बनाया है, परन्तु कुछ लोग स्वर्ण से बने हैं, कुछ रजत या चांदी से बने हैं, और शेष लोग पीतल या लोहे से बने हैं। देखा जाए तो यह सुझाव उसकी प्रस्तावित शासन-प्रणाली की वैधता स्थापित करने का प्रयत्न मात्र था।

आधुनिक युग में जॉन लॉक (1632-1704) से पहले मुख्यतः राज-पद की दैवी उत्पत्ति (Divine origin of kingship) के सिद्धान्त को राज्य की वैधता का आधार माना जाता था। लॉक ने इस सिद्धांत का खंडन करते हुए लोगों की सहमति (consent of the people) को राज्य की वैधता वैधता का आधार बनाया। ज्यां जाक रूसो (1712-78) ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता (Popular sovereignty) के विचार को राज्य की वैधता का आधार बनाकर लोकतंत्र की भावना को बढ़ावा दिया। आज की लोकतंत्रीय प्रणालियों में जनता की सहभागिता (people's participation) को राज्य की वैधता का प्रमाण माना जाता है।

किसी नियम या कानून की वैधता उसकी सामाजिक स्वीकृति (social Acceptance) का संकेत देती है, वह कानून के तथ्य (content) पर आश्रित नहीं होती। किसी संस्था या शासन-प्रणाली की वैधता तभी सिद्ध होती

है जब लोग उसे मन से स्वीकार करते है।
एस. एम. लिप्सेट ने अपनी चर्चित कृति
'पॉलिटिकल मैन - द सोशल बेसिस ऑफ
पॉलिटिक्स (राजनीतिक मानव - राजनीति का
~~सामान्य~~ सामाजिक आधार (1959) के अंतर्गत
यह तर्क दिया है कि किसी राजनीतिक
प्रणाली की वैधता लोगों के मन में यह
विश्वास पैदा करने और कायम रखने
की क्षमता का संकेत देती है कि वर्तमान
राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वथा
उपयुक्त है। इसी तरह जे. एच. एकार ने
'लेजिटिमेसी इन द मॉडर्न स्टेट'
(आधुनिक राज्य में वैधता (1981) के अंतर्गत
यह तर्क दिया है कि आज के युग में
वैधता को विश्वास का विषय माना जाता है,
यदि लोगों के मन में यह विश्वास हो कि
वर्तमान संस्थाएं उपयुक्त या नैतिक दृष्टि से उचित
है तो उन संस्थाओं को वैध माना जाता है।
वैधता की अन्य परिभाषाएं भी इसी विचार
के इर्द-गिर्द घुमती है।

कभी-कभी लोकतंत्र (Democracy)
और अधिनायकतंत्र (Dictatorship) में
अंतर करने के लिए यह तर्क दिया जाता है
कि लोकतंत्र का प्रधान लक्षण वैधता है जबकि
अधिनायकतंत्र मुख्यतः शक्ति या बल-प्रयोग
(Coercion) के सहारे टिका होता है। यह सच
है कि लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए उसे
नागरिकों के बहुमत का समर्थन अवश्य
प्राप्त होना चाहिए। परंतु अधिनायकतंत्र में
भी वैधता अवश्य प्राप्त होने के महत्व को
स्वीकार किया जाता है। बड़े-से बड़े अधिनायक
भी लोगों के रीति-रिवाज और मान्यताओं

का आदर करने को तत्पर होते थे। उदाहरण के लिए चीन के सम्राट और रूस के जार भी लोगों के रीति-रिवाज की कद्र करते थे।

कई सर्वाधिकारवादी प्रणालियों (Totalitarian Regimes) में शासन की वैधता को चुनौती देने वालों को कुचल दिया जाता है। उदाहरण के लिए, साम्यवादी चीन में 1989 में जब छात्र-छात्राओं ने लोकतंत्र की मांग को लेकर थ्यानआनमन चौक पर प्रदर्शन किया तो उन्हें गोलियों से भून दिया गया। इससे विश्व जनमत की दृष्टि में चीन की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा।

अनेक राजनीतिक अनुसंधानकर्त्ताओं ने अपने अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला है कि कोई भी शासन-प्रणाली संपूर्ण जनता की दृष्टि में शत-प्रतिशत वैध नहीं होती। किसी शासन के लिए आदेश वैध नहीं होती, कोई आदेश सदा-सर्वदा के लिए वैध नहीं होता। इसी तरह कोई भी शासन-प्रणाली शत-प्रतिशत बल-प्रयोग पर आधारित या सर्वथा अवैध (Illegitimate) नहीं होती।

अत्यंत लोकप्रिय शासन-प्रणाली के अंतर्गत भी कहीं-न-कहीं विरोध का स्वर सुनाई दे जाता है; कुछ लोग शासन के प्रति उदासीन या उत्साहहीन (Apathetic) होते हैं; कुछ असहमत या असंतुष्ट (Dissident) होते हैं; कुछ विद्रोह या तनाव (Rebellious) होते हैं; कुछ अस्त्र आतंकवादी (Armed Terrorists) बन जाते हैं।

किसी भी राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत साधारणतः बहुमत के समर्थन को

वैधता की कसौटी माना जाता है। डेविड ईस्टन ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'ए सिस्टम्स एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ' (राजनीतिक जीवन का प्रणाली विश्लेषण) (1965) के अंतर्गत लिखा है कि किसी राजनीतिक प्रणाली को कितना जन-समर्थन (Popular support) प्राप्त है - इस बात का पता लगाने के लिए यह देखना चाहिए कि उसके अंतर्गत कानून के उल्लंघन की कितनी घटनाएं होती हैं; हिंसा (violence) कहां तक फैली हुई है; असहमति - आंदोलनों (Dissidence movement) का आकार कितना बड़ा है; और सुरक्षा की व्यवस्था पर कितना धन खर्च किया जाता है। देखा जाए तो किसी प्रणाली की वैधता को मापने के लिए सही-सही सूचकांक तैयार करना मुश्किल है, परंतु प्रस्तुत सूचकांकों के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रणालियों की वैधता के स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन अवश्य किया जा सकता है।